

पत्रांक सं० 178/अ-उ०२०

दिनांक : 2.2.17

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम- गोयला, परगना- महोना, तहसील- बख्शी का तालाब, जिला- लखनऊ की भूमि गाटा संख्या-1056 क्षेत्रफल 0.8450 हे० व 1056स क्षेत्रफल 0.1900 हे० व 1062 क्षेत्रफल 0.1600 हे० व 1056/1317/1 क्षेत्रफल 0.0555 हे० व 1056/1317 क्षेत्रफल 0.0505 हे० जो न्यायालय श्रीमान असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा वाद संख्या- 11/06-07 डा० राम श्रंगार दुबे आदि - बनाम- उ० प्र० सरकार निर्णय दिनांक 16.04.2007 व वाद संख्या- 195/11.12 हुबलाल बनाम उ० प्र० सराकर निर्णय दिनांक 1.08.2012 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अर्न्तगत आदेश पारित करके कृषि से भिन्न अकृषिक प्राख्यापित की जा चुकी है जिसका इन्द्राज खतौनी पर दर्ज है। चन्दावती फाउन्डेशन ट्रस्ट द्वारा उक्त भूमि शिक्षण कार्य के लिए मान्य है। उक्त भूमि के नम्बरान आपस में सटे हुए है। अतः यह भूमि विखण्डित नहीं है उक्त भूमि में सरकारी नदी, नाला सरकारी रास्ता रेलवे लाईन व हाईटेशन विद्युत लाईन नहीं है।

उपजिलाधिकारी/तहसीलदार

बख्शी का तालाब, लखनऊ

